रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-582/2018/949/22-2-2018-17(98)/2005
लखनऊ:दिनांक: 21 अगस्त, 2018

आदेश

उत्तर प्रदेश के मा0 राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी लक्ष्मी प्रसाद उर्फ लक्ष्मन (बन्दी संख्या-26023) पुत्र श्री परमाई, निवासी ग्राम-जैसारी कलॉ, थाना-डकोर, जनपद-जालौन, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-65/1976 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 307/149, 302/149 के अधीन दिनांक 03.07.1979 को मा0 न्यायालय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, जालौन स्थान उरई द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, की शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त बन्दी द्वारा अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, जालौन के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

अमर सेन सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-582/2018/949(1)/22-2-2018 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2-जिला मजिस्ट्रेट, जालौन।
3-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जालौन।
4-वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
5-कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
6-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in